06.8.25 — वकील आवेदक हाजिर। जवाब प्रार्थना
212 RTA पेश। देखा। [illegible] पत्रावली
वास्ते तलबी साथ अनुपालना [illegible]
13.8.25 को पेश हो। Gautam

13.8.25 — वकील आवेदक हाजिर। बहस प्रार्थना
पत्र 212 RTA सुनी गई। पत्रावली वास्ते
निर्णय दिनांक 27-8-25 को पेश हो। Gautam

27-8-25 — पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र 212 RTA स्वीकार योग्य नहीं
[illegible] निस्तारित किया जाकर निर्णय
पारित [illegible] जाकर [illegible] पत्रावली
पृथक से [illegible]
किया जावे। पत्रावली [illegible]
[illegible] वकील [illegible]
अभिलेखागार [illegible] Gautam

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर मुकदमा 126/2025
मोहित सांई बनाम श्रीमती चन्द्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- नयन गौतम आई.ए.एस.

अन्वान :- विविध प्रकारण संख्या 126/2025

मोहित साँई पुत्र श्री लच्छीराम जाति जाट निवासी गांव डूंगरसिंहपुरा (गणेशगढ) तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

-- प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती चन्द्र पत्नी स्व० अन्तराम जाति जाट निवासी गांव डूंगरसिंहपुरा (गणेशगढ) तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. श्रीमती संतोष पुत्री स्व० अन्तराम पत्नी अरविन्द जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 14 मोहर सिंह चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. लच्छीराम पुत्र श्री रावताराम जाति जाट निवासी गांव डूंगरसिंहपुर (गणेशगढ) तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. भारती पुत्री श्री रावताराम पत्नि श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी चक 21 एन.एल. (ढाणी), नजदीक 12 मासी नहर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. संतोष पुत्र दलीप राम (माता स्व० कमला) निवासी कुलड़ीयावाला (21 एम० एल०) तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल महादेव एन्कलेव, सूरतगढ़ – पदमपुर बाईपास, श्रीगंगानगर ।
6. श्रीमती प्रमिला पत्नी गगनदीप पुत्री स्व० कमला जाति जाट निवासी गॉव मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़
7. श्रीमती ममता पत्नी अमित भांभू पुत्री स्व० कमला जाति जाट निवासी झोरड़ खेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
8. मोहनी पुत्री श्री रावताराम पत्नि स्व. श्री बृजमोहन जाति जाट निवासी गांव किलयांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) ।
9. मन्जु पुत्री श्री रावताराम पत्नि श्री प्रहलाद राय भुवाल जाति जाट निवासी गांव मिर्जवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
10. शान्ति पुत्री श्री रावताराम पत्नि श्री ... जाति जाट निवासी गांव दुलमानी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
11. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

— अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:07 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग – – प्रार्थी
2. श्री अरविन्द जाखड़ – – अप्रार्थी संख्या 1 व 2

–:: आदेश ::–

दिनांक :–27.08.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अनवानी का वाद पत्र प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर वाद पत्र के स्वीकार होने की पूरी–पूरी सम्भावना है। तथ्यों की पुनरावृति निवारण हेतु वर्तमान प्रार्थना पत्र को वाद पत्र का अभिन्न अंग मान कर पढ़ा जावे। स्व. श्री रावताराम पुत्र स्व. श्री मघाराम जाति जाट निवासी गांव डूंगरसिंहपुरा (गणेशगढ), तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से कृषि भूमि वाके चक 19 एल. एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 17 में 0.103 हैक्टेयर एवं इसी चक 19 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 9 व 10 में 2.453 हैक्टेयर भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। मृतक स्व. रावताराम जो प्रार्थी के दादा थे, ने अपने पूर्वजों से आई कृषि भूमि में अपने दोनो पुत्र अन्तराम (मृतक) व अप्रार्थी सख्या 3 को अपने जीवनकाल में ही बांटकर दे दी थी जो उनके हिस्से से अधिक ही दी थी और अपने पास अपने हिस्से से कम भूमि ही उपरोक्त पैरा संख्या 3 में वर्णित भूमि रखी थी। उपरोक्त कृषि भूमि मृतक रावताराम के जीवनकाल में उनके कब्जा काश्त में रही और वह अपनी भूमि की सार सम्भाल करते थे और अपने पुत्रों को दी हुई भूमि की सार सम्भाल उनके दोनो पुत्र अन्तराम (मृतक) व अप्रार्थी सख्या 3 अपने अपने हिस्सा पर काश्त करते थे। मृतक रावताराम ने अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयत अपनी स्वेच्छा से रोबरू गवाहान दिनांक 16–9–2005 को निषपादित की गई जो उप–पंजीयक, श्रीगंगानगर के यहां रजिस्ट्रर्ड हुई। इस वसीयत के अनुसार उपरोक्त वर्णित चक 19 एल. एन. पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 9 व 10 की 2.453 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी को अपनी स्वेच्छा से दी एवं मुरब्बा नम्बर 17 की 0.103 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को दी। यह वसीयत साधिकार मृतक स्व० रावताराम ने अपनी स्वेच्छा से रोबरू गवाहान के करके उसे रजिस्ट्रर्ड करवाया था। मृतक स्व. श्री रावताराम का देहान्त दिनांक 19–11–2005 को हो गया। स्व. श्री रावताराम के देहान्त के बाद उपरोक्त वर्णित भूमि का विरासतन इंतकाल दिनांक 22–09–2009 को ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला द्वारा अन्तराम (मृतक), कमला (मृतक) व अप्रार्थी संख्या 3, 4, 8, 9, 10 के हक में दर्ज कर दिया गया। अन्तराम (मृतक), कमला (मृतक) व अप्रार्थी संख्या 3, 4, 8, 9, 10 ने उपरोक्त रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज (वसीयत) का ईल्म होते हुए भी अपने हितों के तौर पर राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज करवाया। जबकि कानून वसीयत के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त वर्णित चक 19 एल. एन.पी के मुरब्बा नम्बर 9 व 10 की 2.463 हैक्टेयर भूमि का इंतकाल प्रार्थी के हक में और इसी चक 19 एल. एन.पी के मुरब्बा नम्बर 17 की 0.103 हैक्टेयर भूमि का इंतकाल अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से किया जाना था। उपरोक्त वर्णित चक 19 एल. एन.पी के मुरब्बा नम्बर 9 व 10 की 2.463 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के दादा के कब्जा काश्त थी और वसीयत के द्वारा प्रार्थी के दादा स्व. रावताराम के स्वर्गवास के बाद प्रार्थी के हिस्सा में आई और वर्तमान में प्रार्थी ही इस भूमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण का इस भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थीगण को इस रजिस्टर्ड वसीयत का भलिभान्ति ज्ञान था फिर भी स्वार्थवश विवादित इंतकाल गलत तौर पर करवाया है जो प्रार्थी के हक हकूकों पर कुठाराघात है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अनवाणी वाद पत्र में बाद तलबी प्रतिवादी संख्या 1 अन्नताराम (मृतक) के द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 द्वारा बाद तलबी हाजिर आने पर जवाब वाद पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 27.7.2000 को श्रीमान न्यायालय द्वारा जवाब वाद पत्र बंद किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 द्वारा बाद साक्ष्य वादी दिनांक 11.12.2020 को श्रीमान न्यायालय में जवाब वाद पत्र मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब वाद पत्र रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया जो आज भी श्रीमान् न्यायालय मे लंबित है। प्रतिवादी संख्या 1 अन्नताराम (मृतक) द्वारा स्वर्गीय रावताराम द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 की हक में निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.09.2005 को शून्य घोषित करने हेतू सिविल न्यायालय संख्या 1 श्रीगंगानगर में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी संख्या 4, 8, 9, 10 व श्रीमती कमला (मृतक) द्वारा दिनांक 22.09.2021 को उपस्थित हो अपना जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण को पंजीकृत वसीयत दिनांकित 16.09.2005 में वर्णित कृषि भूमि के संबंध में श्रीमान न्यायालय के समक्ष लंबित वाद की पूर्ण जानकारी थी। अप्रार्थी संख्या 10/ प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती शान्ति के द्वारा वाद के लम्बित होने की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् भी अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जरिए रजिस्टर्ड उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) दिनांकित 01.10.2024 भूमि हस्तांतरित कर दी गई तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर अपने हक़ में राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल करवा लिया गया। प्रति इन्तकाल संख्या 441/04.01.2025 व उपहार पत्र दिनांक 01.10.2024 सलग्न प्रार्थना पत्र है । अप्रार्थी संख्या 2 व 10 को वसीयत दिनांक में वर्णित वादाधीन कृषि भूमि के संबंध में लम्बित वाद की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् भी प्रार्थी को उसके हक व हकूकों से महरूम करने के लिए वाद के लम्बनकाल के दौरान उपहार पत्र निष्पादित किया गया। प्रार्थी जो सादामत से ही वादाधीन कृषि भूमि में अपने हिस्सा पर काबिज कास्त है। अप्रार्थीगण अपने व अपने माता/पिता/पति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त दखलअंदाजी कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि में किसी [illegible] प्रकार का हस्तांतरण करने से मना किया गया तो उनके [illegible] कहा गया कि राजस्व रिकॉर्ड मे वादाधीन कृषि [illegible] प्रकार से भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित कर [illegible] भूमि पर कब्जा भी ले लेंगे। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में [illegible] हो गये तो वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा व प्रार्थी अपनी कृषि भूमि/अपने हक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

महरूम हो जाएगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार के हर्जाने से नहीं की जा सकती। इसलिए ताफैसला अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित व नितांत आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा वादाधीन कृषि भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत एवं बेजा की जाती है तथा किसी भी प्रकार से हस्तांतरण किया जाता है तो प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा दावा का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा। ऐसी सूरत में प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद के लम्बनकाल तक अप्रार्थीगण, वादाधीन कृषि भूमि पर किसी प्रकार की मदाखलत एवं बेजा करने से बाज व ममनू रहें तथा किसी भी प्रकार से हस्तांतरण न करे। अन्य कोई आदेश प्रार्थी के हित मे हो व न्यायसंगत हो पारित किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार इस प्रार्थना पत्र के अनवान का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इस कारण इस कानूनी बिन्दू पर ही यह टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज होने लायक है तथा यह भी निवेदन है कि मूलवाद जिसका टाईटल अलग है जो वादी ने दिनांक 22–01–2018 को पेश किया है अब सन् 2025 में यानि अब 7 साल बाद प्रार्थी मनमर्जी से स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनी अधिकारी नहीं होने के कारण प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज होने लायक है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 के अनुसार स्व0 रावताराम के नाम की खातेदारी कृषि भूमि चक 19 एल एन पी, तहसील श्रीगंगानगर के मु0 न. 17 में 0.103 है0 नहरी तथा इसी चक 19 एल. एन. पी. तह० श्री गंगानगर के मुरब्बा न. 9 व 10 में 2.453 है0 नहरी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी और स्व0 रावताराम की मृत्यु दिनांक 19–11–2005 को होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 लच्छीराम के प्रयास से इस भूमि का विरासतन इन्तकाल नियमानुसार दिनांक 22–09–2009 को वारिसों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है और स्व० रावताराम के वारिस वर्तमान में दिनांक 22–09–2009 से खातेदार काश्तकार हैं जबकि प्रार्थी मोहित साँई इस भूमि का ना तो खातेदार काश्तकार है और ना ही इस भूमि पर उसका कब्जा है। इसी सूरत में प्रार्थी मोहित साँई का इस भूमि पर कब्जा की बात कहने बाबत प्रथम दृष्टि में कोई केस नहीं बनता और क्योंकि मोहित साँई प्रार्थी इस भूमि का मालिक न होने के कारण उसको कोई स्थगन आदेश हासिल करने का अधिकार नहीं है और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में न होने के कारण प्रार्थी का यह टी. आई. प्रार्थना पत्र खारिज होने लायक है क्योंकि मूल खातेदार के विरूद्व प्रार्थी मोहित साँई को टी. आई. हासिल करने का कोई अधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं है जैसा कि माननीय न्यायालय रेवेन्यू बोर्ड के निर्णय प्रवीण ... प्रकाश DNJ Rev. 2024(2)pg 1324 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया ... है। ... प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत ब्यानी के कारण स्वीकार ... मोहित साँई का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 यह कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उसका पिता कथित वसीयत के बाद 4 वर्ष तक क्यों चुप रहे और विरासतन इन्तकाल होने के बाद उसकी अपील न करने से जाहिर है कि प्रार्थी झूठ बोल रहा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 जिस तरह से लिखी है स्वीकार नहीं है क्योंकि स्थगन प्रार्थना पत्र की कामयाबी के लिये 3 आवश्यक तत्व साबित करने प्रार्थी के लिये जरूरी है । 1. प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टि में सबल केस होना जरूरी है। 2. प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति पहुंचे। 3. प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन होना जरूरी है। यह तीनों की बिन्दु इस पूरे ही प्रार्थना पत्र को पढने से साबित नहीं है जबकि अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार हैं तथा अपने हिस्से अनुसार खुद काश्त कर रहें हैं इसी सूरत में अप्रार्थीगण के पक्ष में मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाना न्याय संगत है क्योंकि मौका पर कोई लडाई झगडा ना हो और मुकदमेंबाजी न बढे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 गलत ब्यानी के कारण स्वीकार नहीं क्योंकि अप्रार्थीगण के पास उक्त भूमि विरासतन इन्तकाल के आधार पर प्राप्त हुई और अप्रार्थीगण इस भूमि खातेदार मालिक हैं ऐसी सूरत में खातेदार मालिक के विरूद्ध कानूनन स्थगन आदेश हासिल करने का प्रार्थी या उसका पिता हकदार नहीं है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 जिस तरह से लिखी है स्वीकार नहीं है। क्योंकि अप्रार्थीगण को उनके पिता से विरासतन भूमि प्राप्त हुई है जिसके वे खातेदार एंवम काबिज हैं अब सन्देहास्पद वसीयत के आधार पर प्रार्थी व उसका पिता अनुचित लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होने के कारण प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र जो उसने धारा 212 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया है जो खारिज होने लायक है। अतः जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि स्थगन प्रार्थना पत्र जो प्रार्थी मोहित सॉंई ने पेश किया है मय खर्चा खारिज फरमाया जाये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि मृतक स्व. रावताराम जो प्रार्थी के दादा थे, ने अपने पूर्वजों से आई कृषि भूमि में अपने दोनो पुत्र अन्तराम (मृतक) व अप्रार्थी सख्या 3 को अपने जीवनकाल में ही बांटकर दे दी थी जो उनके हिस्से से अधिक ही दी थी और अपने पास अपने हिस्से से कम भूमि ही उपरोक्त पैरा संख्या 3 में वर्णित भूमि रखी थी। उपरोक्त कृषि भूमि मृतक रावताराम के जीवनकाल में उनके कब्जा काश्त में रही और वह अपनी भूमि की सार सम्भाल करते थे और अपने पुत्रों को दी हुई भूमि की सार सम्भाल उनके दोनो पुत्र अन्तराम (मृतक) व अप्रार्थी सख्या 3 अपने अपने हिस्सा पर काश्त करते थे। मृतक रावताराम ने अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयत अपनी स्वेच्छा से रोबरू गवाहान दिनांक 16–9–2005 को निषपादित की गई जो उप–पंजीयक, श्रीगंगानगर के यहां रजिस्ट्रर्ड हुई। इस वसीयत के अनुसार उपरोक्त वर्णित चक 19 एल. एन. पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 9 व 10 की 2.453 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी को अपनी स्वेच्छा से दी एवं मुरब्बा नम्बर 17 की 0.103 [illegible] दी। यह वसीयत साधिकार मृतक स्व० रावताराम ने अप[illegible] स्वेच्छा [illegible] रोबरू गवाहान के करके उसे रजिस्ट्रर्ड करवाया था। स्व. श्री रावताराम [illegible] के बाद उपरोक्त वर्णित भूमि का विरासतन इंतकाल दिनांक [illegible]09–2009 को ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला द्वारा अन्तराम (मृतक), [illegible] (मृतक) व अप्रार्थी संख्या 3, 4, 8, 9, 10 के हक में दर्ज कर दिया [illegible]। अन्तराम (मृतक),

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (रा
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कमला (मृतक) व अप्रार्थी संख्या 3, 4, 8, 9, 10 ने उपरोक्त रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज (वसीयत) का ईल्म होते हुए भी अपने हक में गलत तौर पर राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज करवाया। जबकि कानूनन वसीयत के अनुसार उपरोक्त वर्णित चक 19 एल. एन.पी के मुरब्बा नम्बर 9 व 10 की 2.453 हैक्टेयर भूमि का इतकाल प्रार्थी के हक में और इसी चक 19 एल. एन.पी के मुरब्बा नम्बर 17 की 0.103 हैक्टेयर भूमि का इंतकाल अप्रार्थी सख्या 3 के नाम से किया जाना था। अप्रार्थीगण को इस रजिस्टर्ड वसीयत का भलिभान्ति ईल्म था फिर भी स्वार्थवश विरास्तन इंतकाल गलत तौर पर करवाया है जो प्रार्थी के हक हकूको पर बेअसर है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप तथा किसी प्रकार का हस्तांतरण करने से मना किया गया तो उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि राजस्व रिकॉर्ड मे वादाधीन कृषि भूमि उनके नाम है तथा किसी ने इसी प्रकार से भूमि को अन्यत्र हस्तांतरित कर देंगे व प्रार्थी से येन क्रेन भूमि पर कब्जा भी ले लेंगे। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में सफल हो गये तो वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा व प्रार्थी अपनी कृषि भूमि/अपने हक़ से महरूम हो जाएगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार के हर्जाने से नहीं की जा सकती। इसलिए ताफैसला अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित व नितांत आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद के लम्बनकाल तक अप्रार्थीगण, वादाधीन कृषि भूमि पर किसी प्रकार की मदाखलत एवं बेजा करने से बाज व ममनू रहें तथा किसी भी प्रकार से हस्तांतरण न करे। अन्य कोई आदेश प्रार्थी के हित मे हो व न्यायसंगत हो पारित किया जावे। **वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि** इस प्रार्थना पत्र के अनवान का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इस कारण इस कानूनी बिन्दू पर ही यह टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज होने लायक है तथा यह भी निवेदन है कि मूलवाद जिसका टाईटल अलग है जो वादी ने दिनांक 22–01–2018 को पेश किया है। अब सन् 2025 में यानि अब 7 साल बाद प्रार्थी मनमर्जी से स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनी अधिकारी नहीं होने के कारण प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज होने लायक है। स्व0 रावताराम की मृत्यु दिनांक 19–11–2005 को होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 लच्छीराम के प्रयास से इस भूमि का विरासतन इन्तकाल नियमानुसार दिनांक 22–09–2009 को वारिसों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है और स्व० रावताराम के वारिस वर्तमान में दिनांक 22–09–2009 से खातेदार काश्तकार हैं जबकि प्रार्थी मोहित सॉंई इस भूमि का ना तो खातेदार काश्तकार है और ना ही इस भूमि पर उसका कब्जा है। इसी सूरत में प्रार्थी मोहित सॉंई का इस भूमि पर कब्जा की बात कहने बाबत प्रथम दृष्टि में कोई केस नहीं बनता और क्योंकि मोहित सॉंई प्रार्थी इस भूमि का मालिक न होने के कारण [illegible] कोई स्थगन आदेश हासिल करने का अधिकार नहीं है ।प्रार्थी का यह टी. आई. प्रार्थना [illegible] होने लायक है प्रार्थी व उसका पिता अप्रार्थी [illegible] व्यक्ति के विरूद्व कोई स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी [illegible] पिता पुत्र यानि प्रार्थी व उसका पिता लच्छीराम स्थगन आदेश [illegible] में अपने भाई व बहनों का तंग परेशान करने पर तुले हुऐ हैं जिससे [illegible] दमेंबाजी ओर बढेगी ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्याय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

लगात है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 11.02.2008 की फोटो प्रति, न्यायिक दृष्टान्त– [Citaion: 2024(2) DNJ (Rev.)1324, [Citaion: 2024(2) DNJ (Rev.)1326 पेश किये गये।

बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विचार किया जाता है। (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णीय क्षति।

(1) प्रथम दृष्टया मामला– जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार नहीं जिसने वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र 212 आ.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 ता 7 के विरूद्ध स्थगन का अनुतोष चाहा गया है जबकि उक्त पक्षकार मूल वाद में पक्षकार नहीं है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः बिन्दु संख्या 1 प्रार्थी के पक्ष में साबित न होकर अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित होता है।

(2)सुविधा का सन्तुलन एवं (3) अपूर्णीय क्षति :– प्रार्थी द्वारा मूल खातेदार 3, 4, 8, 9, 10 के विरूद्ध स्थगन की मांग की गई है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त [Citaion: 2024(2) DNJ (Rev.)1324, इस प्रकरण पर चस्पा होता है। जिसके अनुसार रिकॉर्डेड खातेदारो के विरूद्ध स्थगन जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्व. रावताराम के द्वारा की गई वसीयत के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने का कथन किया गया है। जिसकी सत्यता एवं वैधता के सम्बन्ध में जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।स्व. रावताराम की मृत्यु उपरान्त विरास्तन इन्तकाल के अनुसार समस्त विविक वारिसान अपनी अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित होता है। प्रकरण में तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 27.08.2028 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner